



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233808
CG-DL-E-03032022-233808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/ फाल्गुन 11, 1943

No. 166]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

सा.का.नि. 169(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय गुणवत्ता परिषद् के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (क्यूसीआई-एनएबीईटी) द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्यांक एम.वी-16/15/2021-खानVI, तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी किए गए प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा-परिभाषित “प्रवर्ग ‘क’ खोज अभिकरण” के अधीन मैसर्स नेचुरल रिसोर्सेज डिविजन-टाटा स्टील लिमिटेड को अधिसूचित करती है।

2. अभिकरण, भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्यांक एम.वी-16/15/2021-खानVI, तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी किए गए प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना के साथ भावी संक्रियाएं करेगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसकी समाप्ति तक या प्रदत्त प्रत्यायन की समाप्ति तक, विधिमान्य होगी।

[फा. सं. एम.वी-16/22/2022-खान VI]

डॉ. वीना कुमारी डर्मल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2022

G.S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred under the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India (QCI-NABET), the Central Government hereby notifies the M/s. Natural Resources Division-Tata Steel Limited under 'Category A Exploration Agencies' as defined in the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines vide order no. M.VI-16/15/2021-Mines VI dated the 12th August, 2021 for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. The agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the guidelines for notifications of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines vide order no. M.VI-16/15/2021-Mines VI dated the 12th August, 2021.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of three years from the date of notification or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.